संoसo–1/विविध–10/2019– 308 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–23/12/2024

विषयः– "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 560.9374 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-XII" के तहत इस परियोजना हेतु कुल रू0 65,93,00,000/– (रूपये पैंसठ करोड़ तिरानबे लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 560.9374 करोड के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

2–उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक–F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Part-XII-SACE-24, Date: 22.11.2024 तथा वित्त विभाग के पत्रांक–701, दिनांक–22.11.2024 के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-XII" के तहत सूद रहित पचास वर्षीय ऋण मद में भुगतान हेतु रू0 65.93 करोड मात्र स्वीकृति दी गई है। द्वितीय अनुपूरक आगणन से इस मद में रू0 65.93 करोड मात्र की राशि प्राप्त कर ली गयी है।

3–इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	राषि (रु0 में)	आवंटनादेष सं0 एवं दिनांक
1	2020–21	40,70,00,000	सं0–33(1), दिनांक–15.01.2021
2	2023–24	5,00,00,000	सं0–528(7), दिनांक–23.02.2024
3	2024–25	1,00,00,000	सं0–47(7), दिनांक–27.05.2024
4	2024–25	60,00,00,000	सं0–135(7), दिनांक–21.08.2024
कुल योग–		**1,06,70,00,000/-**	

4—"विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राज्य में 05 (पॉच) नये मुख्यमंत्री निश्चय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (बेगूसराय, मधुबनी, सीतामढी, महुआ (वैशाली), भोजपुर (आरा)) हेतु विभागीय राज्यादेश सं0—567(1) दिनांक—02.05.2016 द्वारा प्रति चिकित्सा महाविद्यालय रु0 400.00 करोड (रुपये चार सौ करोड) की अनुमानित लागत दर से रु0 2000.00 करोड (रुपये दो हजार करोड) की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

5—उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0—308(1), दिनांक—07.03.2019 में **निहित्त शर्तो** के आधार पर किया जायेगा।

6—अतएव "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 560.9374 करोड के प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018—19 में कुल रु0 515,00,00,000/— (रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024—25 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-XII" के अंतर्गत इस परियोजना हेतु कुल रू0 65,93,00,000/— (रूपये पैंसठ करोड तिरानबे लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7— इस राशि के व्यय का वहन मांग संख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय--03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान—050—भूमि— 0103—नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड—20—4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53—मुख्य निर्माण कार्य के 0103—53—01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में **द्वितीय अनुपूरक आगणन** से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

8—इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9—वित्त विभागीय पत्र संख्या—632वि०, दिनांक—04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या—10792/वि०, दिनांक—06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-XII" के लिए पूजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वियन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID..................में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वियन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबंधित बैक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा—निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेगे।

10—वित्त विभागीय पत्रांक—432/वि०, दिनांक—29.03.2023 एवं पत्रांक—701/वि०, दिनांक—22.11.2024 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र GFR 12Bमें विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

11–यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 2199/वि0, दिनांक–24.03.2017, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 एवं 12888/वि0, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

12–इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13–प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14–प्रारूप मे सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 1/विविध–10/2019 के पृष्ठ–37/टि0 में प्राप्त है।

15–यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

23.12.24

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–1/विविध–10/2019– 308 (7) **/स्वा0, पटना, दिनांक–** 23/12/**2024**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिलाधिकारी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 7/लेखा शाखा (दो प्रतियों मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँएवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23.12.24

सरकार के अपर सचिव